न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 24/2021, जिला सीकर

1. छोटी देवी पत्नी भगवाना
2. छीतर सिंह पुत्र भागीरथ
3. जगदीश प्रसाद पुत्र भागीरथ
4. महेन्द्र सिंह पुत्र हरदेव सिंह
5. मोहन सिंह पुत्र श्याम सिंह
6. राजेन्द्र सिंह पुत्र भगवाना
7. रामोतार पुत्र भगवाना
8. शंकर सिंह पुत्र भगवाना
9. सन्दीप पुत्र भगवाना

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।
2. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

3. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4. बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.11.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित—

1. श्री नरेश कुमार जैन वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —10.10.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 15.11.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खसरा नं. 69 के खातेदार व काश्तकार की भूमि में से तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर को रास्ता प्रस्ताव भेजा जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 15.11.2017 को उक्त खसरा नम्बर में रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये।

3. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 15.11.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट छोटी देवी पत्नी भगवाना वगै0 द्वारा यह अपील धारा 5 नियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर 15.11.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

Scanned with OKEN Scanner

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खसरा नं. 69 की तहसीलदार श्रीमाधोपुर व पटवारी द्वारा बिना मौके की जॉच किये उक्त विवादित भूमि में रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भेजा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं जबकि उक्त भूमि में पूर्व में ना तो कोई आम व सार्वजनिक रास्ता था ना ही वर्तमान में है बल्कि जो रास्ता है वह वह रास्ता मौके पर 90 एवं 91 खसरा नम्बरों में से होकर जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 2016 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार न करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2017 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दिनांक 15.11.2017 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। अपीलांट्स को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देकर व मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 16.06.2021 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से जाहिर होता है कि रास्ता मौके पर प्रचलित व पुराना है एवं रींगस–श्रीमाधोपुर सडक से ढाणी सुबेदारजी के कुऍं तक जाता है तथा सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है जिससे माना जा सकता है कि राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज एवं मौके पर प्रचलित रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा इस संबंध में राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 में दिए गए निर्देशानुसार ही तहसीलदार के प्रस्ताव के आधार पर रास्ते का निर्णय पारित किया गया है इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते है। धारा–58, 86 में भी सम्बन्धित को भ्रमण की सूचना देने की ही अपेक्षा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश वर्ष 2016 एवं 2021 के अनुरूप होने से उचित एवं विधिसम्यक है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर का निर्णय दिनांक 15.11.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,